न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र खजूरी बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 525/14/ दावा/बउनवान/गिरिराज उर्फ गणपत/देवलाल

बउनवान

1. गिरिराज उर्फ गणपत पुत्र रत्तीराम जाति गूजर निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास।

बनाम

1. देवलाल पुत्र गंगाराम जाति गूर्जर निवासी कनवास।
2. उमेश कुमार पुत्र त्रलोकचंद जाति सुनार निवासी कनवास
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :-

वादी स्वयं

प्रतिवादी क्रम 01 स्वयं

प्रतिवादी क्रम 03 की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53, आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिंनाक 30.06.2017

वाद पत्र में संक्षेप तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नंबर 01 के सम्मलित खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील सांगोद में खसरा नंबर 58 की 1.12 है0, खसरा नंबर 110 की 1.29 है0, कुल खसरा किता 02 की रकबा 2.41 है0, हैक्टर की आराजियात स्थित है, जिसमें वादी का नाम रेकाड जमाबंदी में गणपत वल्द रत्तीराम दर्ज है, इस प्रकार वादी के स्वंय के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम कनवास तहसील में खसरा नंबर 1193की 1.46 है0, की आराजी स्थित है, जिसमें वादी का नाम गिरिराज वल्द रत्तीराम रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। इस प्रकार ग्राम कनवास की ही खसरा नंबर 1884 की 1.91 है0, की आराजी जो वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिसमें वादी का नाम गणपत वल्द रत्तीराम दर्ज किया गया है, उक्त आराजियात में से वादी ने ग्राम कनवास की खसरा नंबर 1884 की 1.91 है0, आराजी में से वादी ने ग्राम कनवास की खसरा नंबर 1884 की 1.91 है0, की आराजी में से पूर्वी उत्तरी कोने की 0.36 है0, की आराजी प्रतिवादी नंबर 02 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिंनाक 11.03.2013 को विक्रय कर दी है।

यह कि वादी का बचपन का नाम गणपत वल्द रत्तीराम होने से वादी को गणपत ही कहते रहने से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम सलोनिया व ग्राम कनवास के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नाम गणपत दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी का नाम स्कूल एवं अन्य रेकार्ड में गिरिराज पुत्र रत्तीराम होने से वादी को गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम कनवास में वादी का नाम गिरिराज वल्द रत्तीराम दर्ज किया गया है।

यह कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में गिरिराज व गणपत अलग–2 दर्ज होने से वादी को उसके हिस्से की आराजियात का विकास कराने के लिये बैंक ऋण प्राप्त करने तथा अन्य कार्यों में भी काफी कठिनाईया पैदा होती है।

यह कि ग्राम सलोनिया तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 58 की 1.12 है0, खसरा नंबर 110 की रकबा 1.29 है0, कुल 02 किता की 2.41 है0, की आराजियात का आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन हो जाने से वादी के हिस्से में खसरा नंबर 110 की रकबा 1.29 है0, की आराजी हिस्से में आई है तथा प्रतिवादी नंबर 01 देवलाल के हिस्से में खसरा नंबर 58 की रकबा 1.12 है0, की आराजी हिस्से में आई है, जिस पर वादी व प्रतिवादी नंबर 01 अपने हिस्से में आई आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि वादी न उक्त आराजियात का मुताबिक पारिवारीक विभाजन के खाते अलग –2 कराने के लिये तथा वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कराने के लिये प्रतिवादी नंबर 01 से कई बार कहा किन्तु प्रतिवादी नंबर 01 के तैयार नंही होने से वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है, कि वह सम्मनीय न्यायालय में वाद पेा कर घोषणा विभाजन की डिक्री प्राप्त करें।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास की खसरा नंबर 110 की रकबा 1.29 है0, आराजी को वादी के अलग से खाते दर्ज कर, उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरीराज वल्द रत्तीराम दर्ज फरमाया जावे तथा खसरा नंबर 58 की रकबा 1.12 है0, को प्रतिवादी नंबर 01 के खाते दर्ज की जावे साथ ही ग्राम कनवास तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 1884 की रकबा 1.55 है0, की आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरिराज वल्द रत्तीराम अंकन फरमाया जावे। तथा शेष आराजी 0.36 है0, की आराजी को प्रतिवादी नंबर 03 के खाते दर्ज की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई , प्रतिवादीगण की तलवी बाद तामील प्राप्त हुई।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर मामोर में प्रस्तुत हुई, प्रतिवादी क्रम 01 देवलाल स्वंय उपस्थित प्रतिवादी क्रम 03 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास उपस्थित प्रतिवादी क्रम 02 अनुपस्थित, प्रतिवादी नंबर 02 उमेश सोनी को फोरमाल पक्षकारान बनाये जाने से उसका कोई हित प्रभावित नंही है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया कोई आपत्ति जाहिर नंही की राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत किया राजीनामा मुताबिक दावा स्वीकार करने अपने सहमति जाहिर की।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं जवाब सरकार तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास की खसरा नंबर 110 की रकबा 1.29 है0, आराजी को वादी के अलग से खाते दर्ज कर, उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरीराज वल्द रत्तीराम दर्ज किया जाना उचित समझते हैं तथा खसरा नंबर 58 की रकबा 1.12 है0, को प्रतिवादी नंबर 01 के खाते दर्ज की जावे साथ ही ग्राम कनवास तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 1884 की रकबा 1.55 है0, की

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरिराज वल्द रत्तीराम अंकन किया जाना तथा शेष आराजी 0.36 है0, की आराजी को प्रतिवादी नंबर 03 के खाते दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास की खसरा नंबर 110 की रकबा 1.29 है0, आराजी को वादी के अलग से खाते दर्ज कर, उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरीराज वल्द रत्तीराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा खसरा नंबर 58 की रकबा 1.12 है0, को प्रतिवादी नंबर 01 के खाते दर्ज की जावे साथ ही ग्राम कनवास तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 1884 की रकबा 1.55 है0, की आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरिराज वल्द रत्तीराम अंकन किया जावे तथा शेष आराजी 0.36 है0, की आराजी को प्रतिवादी नंबर 02 के खाते दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा उक्त आराजी पर आई सी आई सी आई बैंक कनवास का रहन दर्ज किया जावे। आदेश की पालना की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को मजमेआम में सुनाया गया।

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा))

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र खजूरी बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 525/14/ दावा/बउनवान/गिरिराज उर्फ गणपत/देवलाल

बउनवान

1. गिरिराज उर्फ गणपत पुत्र रत्तीराम जाति गूजर निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास।

बनाम

1. देवलाल पुत्र गंगाराम जाति गूर्जर निवासी कनवास।
2. उमेश कुमार पुत्र लालचंद जाति सुनार निवासी कनवास
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53, आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 525/14 सन 2014 निर्णय दिनाक 30.06.2016 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं तथा प्रतिवादी क्रम 03 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास की खसरा नंबर 110 की रकबा 1.29 है0, आराजी को वादी के अलग से खाते दर्ज कर, उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरीराज वल्द रत्तीराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा खसरा नंबर 58 की रकबा 1.12 है0, को प्रतिवादी नंबर 01 के खाते दर्ज की जावे साथ ही ग्राम कनवास तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 1884 की रकबा 1.55 है0, की आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरिराज वल्द रत्तीराम अंकन किया जावे तथा शेष आराजी 0.36 है0, की आराजी को प्रतिवादी नंबर 02 के खाते दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा उक्त आराजी पर आई सी आई सी आई बैक कनवास का रहन दर्ज किया जावे। आदेश की पालना की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
प्रमोद कुमार सिन्धव
कनवास जिला कोटा (राज०)
(आर ए एस)

मुदई	रूपयां	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	---------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा ""	---------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""			मुतफर्रिक ""		
मुतफर्रिक ""			मीजान ""		
मीजान ""					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

प्रमोद कुमार सिन्धु
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)